रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 187] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 16, 1971/आश्विन 24, 1893

No. 187] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 16, 1971/ASVINA 24, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October 1971

G.S.R. 1547.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969), the Central Government hereby appoints the 1st day of November, 1971, as the date on which the said Act shall come into force in the autonomous State of Meghalaya (except that portion of the Municipality of Shillong included in the autonomous State in which it has already come into force) in the State of Assam.

[No. 1-1(Enf.)/70-VS.]

A. CHANDRA SEKHAR, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 1971

जी०एस०आर० 1547.—जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार नवम्बर, 1971 के प्रथम दिन को एतद्द्वारा ऐसा दिन नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम असम राज्य में मेघालय के स्वायत्त राज्य में (शिलांग नगर पालिका के उस भाग को छोड़कर जो स्वायत्त राज्य में सम्मिलित है और जिसमें यह पहले ही प्रवृत्त हो चुका है) प्रवृत्त होगा ।

[सं० 1-1 (ई एन एफ)/70—वी एस]

ए० चन्द्र शेखर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971